



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3994-एक/14

जिला - छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
13-3-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल, छतरपुर के प्र0क्र0 13/अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनां 24-2-14 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 20.11.14 को अर्थात् 6 माह से अधिक विलंब से पेश की गई है। निगरानी के साथ अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में यह कहा गया कि उसकी बिना जानकारी के सीमांकन अनावेदक द्वारा कराया गया है किंतु इस संबंध में कोई प्रमाण जैसे सीमांकन प्रकरण में जारी किए गए सूचनापत्र आदि की प्रति पेश नहीं किया है। विलंब के संबंध में जो कारण बताये गये हैं वे प्रथमदृष्टया समाधानकारक प्रतीत नहीं होते हैं। परिणामतः यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये। आवेदक सूचित हों।</p>	 सदस्य



CF 2014

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल खालियर मध्य प्रदेश
निगरानी प्रकरण क्रमांक R. 3994/I-14 सन 2014

मैयादीन तनय श्रीदलुआ अहिरवार
नि० राधेपुर तह० व जिला छतरपुर म. प्र. --- निगरानीकर्ता

बनाम

1- रतीराम तनय श्री भरोसा अहिरवार
नि० राधेपुर तह० व जिला छतरपुर मध्य प्रदेश

2- शासन मध्य प्रदेश ---

--- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं.
निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर
म. प्र. द्वारा प्र. क्रं. 13/अ-12/13-14 आदेश
दिनांक 24/2/2014 से विदित होकर ।

कायान्याय कलेक्टर
जिला छतरपुर मध्य
प्रदेश का नाम
प्रस्तुतकर्ता का नाम
शाखा का नाम
दिनांक

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित सादर निगरानी प्रस्तुत करता है :-

क्रमांक 3807
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी है ।

यह कि निगरानी कर्ता ग्राम राधेपुर तहसील व जिला छतरपुर

वलाक
राजस्व मण्डल म. प्र. खालियर

यह कि भूमि खसरा नम्बर 507, 508, 509, रकवा क्रमांक: 0, 445,
0, 235, 1. 036 हेक्टे. स्थित मौजा ग्राम बरकोहा तहसील व जिला छतरपुर

म. प्र. का सीमांकन कराये जाने हेतु तहसीलदार महोदय, छतरपुर के न्याया-
लय में धारा 129 म. प्र. भू. रा. सं. के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।
जिसका प्रकरण क्रमांक 13/अ-12/13-14 था, तथा उक्तसीमांकन की कार्य-
वाही सरहददी कास्तकारो को बिना सूचना दिये तथा विहित प्रक्रिया
अपने बिना ही अनावेदक की भूमि का सीमांकन कर राजस्व निरीक्षक महोदय
छतरपुर द्वारा दिनांक 24-2-2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया
जिसमें दुखित होकर निगरानीकर्ता उपरोक्त निगरानी प्रस्तुत कर रहा है ।



--- निगरानी के आधार ---